राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा–1/प्रा.शि./2003 पार्ट–II जयपुर, दिनांकः 27/8/07

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 19 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठयक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2007–08 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	श्री मूल चन्द मीणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लालसोट, दौसा	STC	50
2	अलंकार महिला टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल बिशनावाला सिरसी रोड, जयपुर	STC	50
3	डॉ0 राधाकृष्णन् टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
4	महाराणा प्रताप एन टी.टी. विद्यालय, बसेडी, धौलपुर	NTT	50
5	लक्ष्मीबाई महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जमवारामगढ, जयपुर	NTT	50
6	आनन्द शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भरतपुर	STC	50
7	वरदा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नीम का थाना, सीकर	STC	50
8	चौधरी परमाराम गोदारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नोहर हिसार बाईपास भादरा, हनुमानगढ	STC	50
9	गैन्दी देवी शिक्षण संस्थान, जमवारामगढ, जयपुर	STC	50
10	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, धौलपुर	STC	50
11	रावत महिला बी.एड. कॉलेज करणी विहार हीरापुरा, जयपुर	STC	50
12	इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चुरू	STC	50
13	मानव मंगल वोमेन्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन संगरिया, हनुमानगढ़	STC	50
14	गीता को–एज्युकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घडसाना, श्रीगंगानगर	STC	50
15	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नर्सरी टी.टी. स्कूल, बसेडी, धौलपुर	NTT	50 (सीट वृद्धि)
16	श्री रघुनाथ ऐलीमेन्ट्री टीचर एज्युकेशन इंस्टीट्यूट दातारामगढ, सीकर	STC	50
17	रामानन्द टी.टी. कॉलेज महावीर कॉलोनी, कोटा	STC	50
18	महाराजा सूरजमल ऐलीमेन्ट्री टी.टी. कालेज, भरतपुर	STC	50
19	रामदुलारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल हिन्डौन सिंटी करोली	STC	50

क्रमशः......2

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावें।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2007–08 में बीएसटीसी पाठयक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठयक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2007, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. संबंधित संस्था ....
8. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव